न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/247/2017

उनवान

1. श्रीमती एजन पुत्री नन्दा गुर्जर पत्नि चन्दा गुर्जर निवासी खटवाड़ा हाल निवासी होडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री भैरू आत्मज छोटू गुर्जर निवासी खटवाड़ा त0माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 91/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश जैन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अशोक कुमार गट्याणी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1
3. .श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 श्री भैरू ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ की आराजी नम्बर 2633/2479 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में मुझ प्रार्थी की माता देवली के नाम दर्ज होकर मुझ वादी के कब्जे काश्त की होकर वादी शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। देवली के कोई जाइन्दा पुत्र व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पुत्री संतान नही होने से देवली के पति ने ही मुझे अपने जीवनकाल में समाज की प्रचलित प्रथा व रश्म को अदा कर मुझे गोद लिया था। नन्दा की सेवा चाकरी भी वादी ने की थी व देवली के पति नन्दा का सामाजिक क्रियाकर्म वादी ने सम्पन्न किए व पगड़ी भी वादी के बंधवायी थी। उसके पश्चात देवली की सेवा चाकरी भी वादी ने की थी।

2. वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात एवं अन्य जायदाद के सम्बन्ध में मु0 देवली बेवा नन्दा गुर्जर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.06.1994 को वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया था। देवली की मृत्यु दिनांक 26.07.2012 में हो चुकी। वसीयतनामा में स्पष्ट अंकित किया कि देवली की जायदाद में प्रतिवादी सं0 1 का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रहेगा। वसीयतनामा दिनांक 26.07.2012 से प्रभावी हो चुका है। धारा 14 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी नारी के नाम आई सम्पत्ति उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है। प्रतिवादीया का वादवर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होते हुए भी आये दिन वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है।

3. यह कि प्रतिवादीया एजन के मन में फितुर आने से वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम नहीं होने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादी ने दिनांक 20.05.2014 को वादग्रस्त आराजीयात का इन्तकाल अपने नाम पर खोलने की कहा तो प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया जिससे वाद कारण दिनांक 20.05.2014 से उत्पन्न होकर सतत रूप से जारी है।

4. अतः वादी की प्रार्थना है कि ग्राम खटवाड़ा की आराजी नम्बर 2633 / 2479 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ीूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे तथा प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 01 वादग्रस्त आराजीयात में वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को जबरन उसकी भूमि से बेदखल नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवंत तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादवर्णित भूमि अपीलार्थी के पिता नन्दा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रेकार्ड थी। अपीलार्थी स्व0 नन्दा की जाइन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। नन्दाजी के देहान्त के पश्चात उनके हक हिस्से भूमि जरिये विरासत अपीलार्थी एवं उसकी माता देवली में निहित हो गयी परन्तु राजस्व अधिकारियों के द्वारा नामान्तरकरण स्व0 नन्दा के वारिसान की बिना जांच पड़ताल के केवल मात्र देवली के नाम पर फैसल कर दिया। नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसीडिंग है इसके द्वारा किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। गलत खोले गए नामान्तरकरण से अपीलार्थी के विरासतीय अधिकार कदापि समाप्त नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की मंशा को समझे बिना आलौच्य निर्णय प्रतिपादित किया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर तनकीयात विरचित नहीं किए एवं मौखिक साक्ष्य भी नहीं ली गई। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में तनकीयात हेतु नियत होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत कैम्प खटवाड़ा में निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत की मंशा उभयपक्षों की उपस्थिति में आपसी राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण करना है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की जो खारिज योग्य है।

9. बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीया/अपीलार्थी ने पंजीकृत वसीयतनामें को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुझ वादी/प्रत्यर्थी सं0 1 को स्व0 नन्दाजी ने विधिवत गोद रखा तथा मेरे द्वारा ही उनका सामाजिक क्रयाकर्म किए जाने से उनकी पगड़ी भी मेरे बंधी। उनकी मृत्यु के पश्चात स्व0 देवली की सेवाचाकरी मेरे द्वारा की गई जिससे खुश होकर उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति होने से पंजीबद्ध वसीयत मेरे पक्ष में निष्पादित की जाने से मु0 देवली की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत के आधार पर मुझ वादी/प्रत्यर्थी को खातेदार घोषित किया है जो उचित है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प खटवाड़ा में रखे जाने के सम्बन्ध में पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किए। स्वयं अपीलार्थी एजन एवं वादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 को सूचना पत्र तामील हुए हैं जो पत्रावली में संलग्न है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात दस्तावेजों एवं विधिक नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण तनकीयात कायम किए जाने हेतु नियत थी । अपीलार्थी एवं इनके अधिवक्ता को विधिवत सुनवाई नहीं कर कैम्प खटवाड़ा में निर्णय किया जो खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 04.07.2014 को दर्ज होकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख 07.10.2014 नियत की गई। दिनांक 13.04.2015 को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से ऋतुराज ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। आगामी तारीख 16.06.2015 वास्ते जवाब एवं तलबी प्रतिवादी संख्या 02 हेतु नियत की गई। दिनांक 16.06.2015 की कोई आदेशिका पत्रावली में अंकित नहीं है। दिनांक 06.12.2016 को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा जवाब प्रस्तुत हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एक तरफा करते हुए पत्रावली आगामी तारीख 25.01.2017 वास्ते पेश करने दस्तावेज व तनकी हेतु नियत की गई। दिनांक 25.01.2017 को दस्तावेज/तनकी हेतु आगामी तारीख 28.02.2017 नियत की गई। दिनांक 28.02.2017 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश में होने तथा दिनांक 11.04.2017 को बार एश्रो0के द्वारा अदालती कार्य के स्थगित रखे जाने से आगामी तारीख 12.06.2017 वास्ते दस्तावेज/तनकी हेतु नियत होना स्पष्ट होता है। पत्रावली में कोई तनकीयात कायम नहीं किए तथा दिनांक 12.06.2017 की कोई आदेशिका संधारित नहीं है एवं पत्रावली को केम्प खटवाड़ा पर दिनांक 29.05.2017 को रखे जाने के सम्बन्ध में भी कोई आदेशिका संधारित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्व लोक अदालत कैम्प खटवाड़ा पर सुनवाई हेतु दिनांक 17.06.2015 जारी होकर इस पर भैरू की अंगूठा निशानी है तथा दिनांक 08.06.2016 के जारी सूचना पत्र पर भैरू की अंगूठा निशानी है तथा एजन के मौके पर नहीं मिलने की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को सीधे ही कैम्प खटवाड़ा पर दिनांक 29.05.2017 को रखकर निस्तारण किया जो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उचित नहीं कहा जा सकतां है। क्योंकि राजस्व लोक अदालत कैम्प भी प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामें से किए जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश से लगाये हैं परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना की है एवं न ही राज्य सरकार के राजस्व लोक अदालत शिविर की मंशा अनुरूप ही प्रकरण का निस्तारण किया है।

11. अपीलार्थीया का यह भी कथन है कि वह स्व0 नन्दा की एक मात्र जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार वादवर्णित आराजीयात को प्राप्त करने की अधिकारी है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 16.06.1994 का अध्ययन किया। इसमें स्वयं देवली ने यह स्वीकार किया है कि उसके पुत्री एजन जीवित है जो ससुराल रहती है। इससे यह तो स्पष्ट है कि एजन देवली की पुत्री है। जिसे स्वयं वादी/प्रत्यर्थी सं0 1 ने भी अस्वीकार नहीं किया है। परन्तु वादी ने अपने वाद में यह तथ्य अंकित किया कि वह नन्दा के सामाजिक रीति रिवाज से गोद गया व पगड़ी बांधी परन्तु गोद के सम्बन्ध में वसीयतनामें में कोई उल्लेख नहीं है न ही गोद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत हुई है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई विधिक बिन्दु कायम किए बिना ही वाद का निस्तारण वादी प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में निस्तारित किया जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 विधिविरूद्ध होने से अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05..2017 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना कर पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिन्दु कायम कर साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/X/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/247/2017

उनवान

1. श्रीमती एजन पुत्री नन्दा गुर्जर पत्नि चन्दा गुर्जर निवासी खटवाड़ा हाल निवासी होडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री भैरू आत्मज छोटू गुर्जर निवासी खटवाड़ा त0माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 91/2014 निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.05.2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/247/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 15.10..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री रोकश जैन प्रत्थर्थी संख्या 1 के वकील श्री अशोककुमार गट्याणी व प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 15. 10..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 15.10..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस